न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 37 / 2020

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स–

1. राणाराम पुत्र पनाराम
2. हीराराम पुत्र पनाराम
3. दमाराम पुत्र पनाराम
   जाति जाट निवासी
   कंकोलगढ़ (खोखसर)
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये
1.1 तहसीलदार बायतु
1.2 तहसीलदार गिड़ा
2 रेवन्ताराम पुत्र पेमाराम
3 गैरो देवी बेवा पेमाराम
4 लालाराम पुत्र पदमाराम के कायम मुकाम
4.1 पपुराम पुत्र लालाराम
4.2 सांगाराम पुत्र लालाराम
4.3 कसुम्बीदेवी पत्नी लालाराम
5 मालाराम पुत्र जेठाराम
   जाति जाट निवासी कंकोलगढ़
   तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6 ग्राम पंचायत खोखसर
7 शाखा प्रबंधक JTGB शाखा परेऊ
8 जमना देवी पत्नी मालाराम जाति
   जाट निवासी खोखसर तहसील गिड़ा
   जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 59 दिनांक 19.11.2010 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स 2 से 5 व 8 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रोफोर्मा पक्षकार।
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.07.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 59 दिनांक 19.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खोखसर पूर्व के खसरा नम्बर 1293, 1294 रकबा क्रमशः 0–11, 105–05 बीघा एवं मौजा कंकोलगढ़ के खसरा नम्बर 1195, 1197, 1198, 1245, 1286, 1310 / 1245 रकबा क्रमशः 0–12, 0–03, 115–00, 64–06, 0–04, 01–04 बीघा के खातेदारान रेवन्ताराम पुत्र पेमा, मु0 गैरोंदेवी बेवा पेमा, लाला वल्द पदमा, राणा हीरा दमा पि0 पना माला पुत्र जेठा कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.11.2010 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 59 दिनांक 19.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख [illegible] किया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 5 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को [illegible] फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 59 दिनांक 19.11.2010 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 का विश्वास कर कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये जबकि उक्त पेपरों के संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुये नहीं थे। अपीलांट्स द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने बताया कि बाद में पटवारी मौक पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांकों को बिना प्रभावित करते हुये तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुये ही सही रंग भर देंगे। वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलाधीन आराजी पर बंटवाडे में बताये रंग अनुसार अपीलांट्स काबिज न होकर उससे विपरीत काबिज हैं। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जब रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 व 8 द्वारा अपीलांट्स की रहवासी ढाणीयों व पानी के टांके अपने हिस्से में आना बताकर आवागमन में बाधाऐं डालने लगे। इस पर अपीलांट्स द्वारा मौके की बंटवाडे की नकल मांगने पर दिनांक 23.07.2020 को ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 ने हलका पटवारी से मिलावट कर इकरारनामा पर हस्ताक्षंर के बाद नक्शा में अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष पेश किये तथा आराजी का मौका पर कब्जा–काश्त से हटाकर बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये अपनी सुविधानुसार बंटवाडा करवा दिया है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 व 8 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खोखसर पूर्व के खसरा नम्बर 1293, 1294 रकबा क्रमशः 0–11,

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

105–05 बीघा एवं मौजा कंकोलगढ़ के खसरा नम्बर 1195, 1197, 1198, 1245, 1286, 1310/1245 रकबा क्रमशः 0–12, 0–03, 115–00, 64–06, 0–04, 01–04 बीघा खातेदारान द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा को तहसीलदार बायतु ने आदेश दिनांक 19.11.2010 के द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के हिस्से मे अंकित कर दी है। अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 व 8 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 59 दिनांक 19.11.2010 अपास्त किया जाता है। वर्तमान में विवादित भूमि तहसील क्षेत्र गिडा के अन्तर्गत आती है अतः प्रकरण तहसीलदार गिडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:04:14 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)